

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सागर

// आदेश //

पुलिस मुख्यालय के आदेश क- पुमु/कल्याण/टी-8/नस्ती-18/1026/18 दि.26.07.18 के पालन में पुलिस कर्मियों के सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और काम के तनाव से निपटने तथा कौशल विकास के लिये योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में डॉ.हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से समन्वय स्थापित कर योग प्रशिक्षकों के नामांकन चाहे गये थे जिसके पालन में आवेदकों द्वारा अपने अपने आवेदन दस्तावेजों की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किये गये थे। योग प्रशिक्षकों के चयन /साक्षात्कार/प्रायोगिक हेतु कार्यालय के आदेश क-पुअ/सागर/रनि/4170/18 दिनांक 08.08.18 के माध्यम से कमेटी गठित की गई थी। गठित कमेटी द्वारा संदर्भित पत्र के बिन्दु 04 की कंडिका के बिन्दु घ के अंतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आवंटित राशि बिन्दु क 03 के अंतर्गत परिश्रमिक/मानदेय पर भुगतान पूर्णतः अस्थाई आधार पर किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	योग्यता	मो0न0
1	श्री विनोद पटेल	श्री देवीदीन पटेल	ग्राम व पो0 मोकलपुर जिला सागर	स्नात्कोत्तर/योग शिक्षक	8305325357
2	श्री सूर्यप्रताप गर्ग	श्री रामप्रताप गर्ग	पथवा काली मंदिर तिली वार्ड सागर	स्नात्कोत्तर/योग शिक्षक	8103496984
3	श्री रामलाल प्रजापति	श्री प्रीतम प्रजापति	ग्राम बांसादेही तह0 बेगमगंज जिला रायसेन	स्नात्कोत्तर	7773063941
4	श्री मनीष बेदिया	श्री लाखन सिंह बेदिया	ग्राम पथरिया जिला सागर	स्नात्कोत्तर	9516225301

अतः उपरोक्त योग प्रशिक्षकों को शासन स्तर से आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये मांग संख्या/03-2055-पुलिस के अंतर्गत-113-2634-पुलिस कर्मियों का कल्याण-24-002-प्रशिक्षण मद नवीन मद 4,87,500/- (अंकन चार लाख सतासी हजार पांच सौ रुपये) में से योग प्रशिक्षकों के परिश्रमिक भुगतान हेतु 3,35,500/- (अंकन तीन लाख पैंतीस हजार पांच सौ रुपये) के अनुसार प्रतिमाह 11,420/- रुपये (अंकन ग्यारह हजार चार सौ बीस रुपये) की दर से किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक
जिला सागर

क- पुअ/रनि/सागर/ 1280 /18 दिनांक 24/08/2018

- प्रतिलिपि:-
- 1.पुलिस महानिष्क सागर जोन सागर की सादर सूचनार्थ।
 - 2.उप पुलिस महानिष्क सागर रैंज सागर की सादर सूचनार्थ।
 - 3.अति पुलिस अधीक्षक जिला सागर की ओर सूचनार्थ।
 - 4.अति पुलिस अधीक्षक बीना की ओर सूचनार्थ।
 - 5.रक्षित निरीक्षक सागर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 6.मुख्य लिपिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय सागर की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 7.सर्वसंबंधितों को सूचनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला सागर